FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0016 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/01/2026 12:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/01/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:10 बजे **Time To (समय तक):** 16:40 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/01/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/01/2026 12:06:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARYALAY GRAM, SEVA SAHKARI SAMITI, DHANDHAR, PILANI JILA JHUNJHUNU

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIVEK KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SATYAVEER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BANGOTHRI KHURD, PILANI, PILANI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BANGOTHRI KHURD, PILANI, PILANI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHIPAL SINGH		पिता:HEERALAL	1. MANJHWA KI DHANI,POST KHUDANIYA,CHIRAWA,PILANI, JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 30,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 05.01.2026 को वक्त 04.10 पीएम पर परिवादी श्री विवेक कुमार निवासी बनगोठडी ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मै हमारे व परिचितो के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार पर मूंग की तुलवाई करवाता हूँ। क्रय विक्रय सहाकारी समिति के ईचार्ज श्री महिपाल मूंग की तुलवाई करने की एवज में प्रति क्विटल 300 रुपये कमीशन की मांग करता है तथा कमीशन नही देने पर मूंग की गुणवत्ता खराब बताकर तुलवाई करने से इंकार करता है। मेरे द्वारा मेरे परिवार व परिचितो के करीब 100 क्विटल मूंग की तुलवाई क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार पर करवाई गई है तथा आगे मूंग की और तुलवाई करने की एवज में श्री महिपाल पहले पीछे तुलवाये गये मूंग के 30,000 रुपये कमीशन के रुप में रिश्वत की मांग कर रहा है। मै अभी झुंझुनूं नही आ सकता हूँ। आप अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास ढंढार भिजवा दो जिनको मै श्री महिपाल के विरुद्ध कार्यवाही करवाने का प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र कुमार पूनियाँ मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, श्री कुमार सानु कानि 138, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह के एसीबी चौकी से रवाना होकर मण्ड्रेला से आगे मुख्य सड़क पर ढढार से पहले पहुंचा जहा परिवादी श्री विवेक कुमार मय गाड़ी के उपस्थित मिला। परिवादी श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह निवासी बनगोठड़ी, जिला झुंझुनूं ने एक टाइपशुदा लिखित प्रार्थना पत्र मय अधिकार पत्र एवम् क्रय विक्रय सहकारी समिति ढढांर में श्री सत्यवीर सिंह, श्री संजय कुमार, श्री जगराम, श्री ओमवीर द्वारा मूंग तुलवाई की विक्रय पर्ची की फोटोप्रतिया इस आशय की पेश की कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुंझुनूं। विषय श्री महिपाल को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाने के संबंध में। महोदय निवेदन है कि मैं विवेक कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह निवासी बनगोठड़ी तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं का रहने वाला हूं। मैं हमारे व परिचित श्री संजय कुमार, श्री जगराम, श्री ओमवीर के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार तहसील पिलानी में मूंग तुलवाई करवायी थी। मैं मूंग तुलवाने के लिये क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार जाता रहता हूं इस कारण श्री महिपाल मुझे जानता है। क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार के इंचार्ज श्री महिपाल मूंग तुलवाई के प्रति क्विंटल 300 रूपये रिश्वत की मांग करता है तथा रिश्वत नही देने पर मूंग की गुणवता खराब बताकर तुलवाई करने से मना कर देता है। मैने मेरे व मेरे परिचितो के करीब 100 क्विंटल मूंग की तुलवाई करवायी है। मै आज श्री औमप्रकाश के मूंग तुलवाई हेतु ढंढार गया तो श्री महिपाल ने शपथ पत्र के श्री औमप्रकाश से 5000 रुपये रिश्वत के आन लाईन ले लिये और मेरे से पहले की तुलवाई के 30,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैने श्री पवन कुमार के मूंग की तुलवाई हेतु महिपाल को कहा तो महिपाल ने पीछे का हिसाब करने की बात कही और कहा की पीछे का हिसाब नही करोगे तो आगे मूंग की तुलवाई नही करुंगा। मैं श्री महिपाल को रिश्वत नही देना चाहता हूं, रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरा श्री महिपाल से कोई रंजीश व पूर्व का लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही करें। एसडी श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह निवासी बनगोठड़ी खुर्द, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं। मोबाइल नम्बर दिनांक 05.01.2026। परिवादी श्री विवेक कुमार ने दरियाफ्त पर बताया कि टाइपशुदा रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार पर श्री सत्यवीर सिंह निवासी बनगोठडी के मूंग तुलवाई दिनांक 17.12.2025 की विक्रय पर्ची 23.00 क्विंटल, श्री संजय कुमार की मूंग तुलवाई दिनांक 17.12.2025 की विक्रय पर्ची 36.00 क्विंटल, श्री जगराम की मूंग तुलवाई दिनांक 17.12.2025 की विक्रय पर्ची 37.50 क्विंटल, श्री ओमवीर की मूंग तुलवाई दिनांक 17.12.2025 की विक्रय पर्ची 8.00 क्विंटल की तुलवाई क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार में मूंग की तुलवाई करवाई जा चूकी है जिनकी फोटोप्रतिया प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। परिवादी ने बताया कि मैं आज श्री महिपाल इंचार्ज क्रय विक्रय सहकारी समिति ढढांर से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवा सकता हूं। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला पृथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया है। रिश्वत मांग सत्यापन में जैसी स्थिति होगी उसी अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री विवेक कुमार को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चलाने की विधि की समझाईश की गई। श्री कुमार सानु कानि 138 को डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत की गयी कि परिवादी को श्री महिपाल, इंचार्ज क्रय विक्रय सहकारी समिति ढढांर के

पास रिश्वत मांग हेतु भेजन से पूर्व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द करे। परिवादी श्री विवेक कुमार को श्री कुमार सानु कानि 138 के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ उसके वाहन से रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद परिवादी श्री विवेक कुमार व श्री कुमार सानु कानि 138 बाद गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कर वापिस आये तथा कानि ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति ढढांर के बाहर पहुंच परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय क्रय विक्रय सहकारी समिति ढढांर में रवाना किया और मैं गाड़ी के अन्दर ही बैठा रहा। परिवादी क्रय विक्रय सहकारी समिति में गया जहा एक व्यक्ति से बात कर वापिस आया। परिवादी से मैनें डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने बताया कि श्री महिपाल इंचार्ज से मेरी बात हो गयी है जिन्होने मेरे द्वारा पूर्व में मेरे व मेरे परिचितो के मूंग तुलवाई के 30,000 रूपये रिश्वत की मांग कर पहले का हिसाब पूरा करने की बात कही। परिवादी श्री विवेक कुमार से पूछताछ की गई तो परिवादी ने कानि द्वारा बतायी गयी बातो की ताईद की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर चलाकर सुना तो वॉयस रिकार्डर में कानि व परिवादी द्वारा बतायी गयी बातो की पुष्टी होना पायी गयी। परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने पर आपसे संपर्क कर लूंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र कुमार पूनियाँ मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, श्री कुमार सानु कानि 138, सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह के एसीबी कार्यालय हाजिर आये। परिवादी का प्रार्थना पत्र एवम डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। आईन्दा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजदूगी में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। दिनांक 12.01.2026 को परिवादी श्री विवेक कुमार मय रिश्वती राशि 30,000 रूपये सहित गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 दो स्वतंत्र गवाह श्री कुणाल माथुर, वरिष्ठ सहायक क्षय निवारण केन्द्र व श्री उम्मेद सिंह, संगणक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थय अधिकारी जिला झुंझुनूं को लेकर हाजिर आया। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री विवेक कुमार से आपस में परिचय करवा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री विवेक कुमार व स्वतंत्र गवहान श्री कुणाल माथुर वरिष्ठ सहायक व श्री उम्मेद सिंह संगणक की उपस्थिती में ट्रेप कार्यवाही में आर्टीकल्स को शिल्ड करने हेतु काम में ली जाने वाली पीतल की सील नम्बर 8 की फर्द नमूना ब्रासशील पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। फर्द की एक प्रति स्वतंत्र गवाह श्री धर्मपाल बगडिया को दी गई। परिवादी श्री विवेक कुमार व आरोपी श्री महिपाल, ईंचार्ज क्रय विक्रय सहकारी समिति, ढंढार के बीच दिनांक 05.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर स्वतंत्र गवाहान श्री कुणाल माथुर वरिष्ठ सहायक व श्री उम्मेद सिंह संगणक व परिवादी श्री विवेक कुमार की उपस्थिति में कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से जोडकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री कुमार सानु कानि. 138 द्वारा तैयार किया जाकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता से HP 32 जीबी कम्पनी की तीन पेनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड Geonix 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री महिपाल, ईंचार्ज क्रय विक्रय सहकारी समिति, ढंढार की आवाज होने की पहचान की है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री विवेक कुमार को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री उम्मेद सिंह से परिवादी श्री विवेक कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 30,000 रूपये के नोट श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 से परिवादी की पहनी हुई जेकेट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री विवेक कुमार को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों

गवाहान को समझाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईषारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 03.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री शब्बीर खान उ.अ.पु. श्री सुरेश चन्द पु.नि., श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि. 155, श्री विक्रम सिंह कानि. 92, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक स्वतंत्र गवाह श्री कुणाल माथुर वरिष्ठ सहायक व श्री उम्मेद सिंह संगणक व परिवादी श्री विवेक कुमार सरकारी वाहन चालक श्री जगदेव सिंह मय सरकारी वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय प्राईवेट वाहन से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु ढंढार के लिए रवाना हुये। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 को कार्यालय में छोडा गया। समय 04.35 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री शब्बीर खान उ.पु.अ., श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि., श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री कुमार सानू कानि 138, श्री राकेश कुमार कानि. न. 243, श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री कुणाल माथुर एवं श्री उम्मेद सिंह, परिवादी श्री विवेक कुमार मय प्राईवेट एवं सरकारी वाहन के ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो का बास से पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा करवा कर परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। परिवादी श्री विवेक कुमार को डिजिटल वॉयस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर चालु कर सुपूर्द किया श्री महिपाल को रिश्वती राशि देने हेतु ग्राम सेवा सहाकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो का बास के लिए रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे श्री कुमार सानु कानि 138 व विक्रम सिंह किन 92 को रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ग्राम सेवा सहकारी समिति के आस पास परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 04.40 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी का मिस कॉल का ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार के कार्यालय में पहुंचे जहा कक्ष के अन्दर परिवादी व उसके पास एक व्यक्ति खड़ा मिला। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने बताया कि यही श्री महिपाल सिंह इंचार्ज ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार है जिन्होने अभी अभी मेरे से 30,000 रुपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ से लेकर अपने बाये हाथ से अपनी पहनी हुई जेकेट की बाई जेब में रख लिये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम महिपाल सिंह पुत्र श्री हीरालाल, जाति जाट, उम्र 44 साल निवासी मांन्जुओ की ढाणी, पोस्ट खुडानिया पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो की ढाणी, जिला झुंझुनूं होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री महिपाल सिंह व्यवस्थापक को परिवादी से 30,000 रुपये किस बात के लिए है पूछा तो श्री महिपाल सिंह ने बताया कि मूंग तुलवाई के पलदारो की पलदारी के रुपये लिये है जिस पर पास खडे परिवादी श्री विवेक कुमार ने श्री महिपाल सिंह की बातो का खण्डन करते हुये कहा की श्री महिपाल सिंह झुठ बोल रहा है, मैने मेरे पिताजी, ताउ आदि के मूंग एम.एस.पी. के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार में करीब 100 क्विंटल तुलवाये थे, श्री महिपाल सिंह व्यवस्थापक प्रति क्विंटल 300 रुपये के हिसाब से रिश्वत मांग रहा था तथा इसके अलावा शपथ पत्र के 5000 रुपये रिश्वत के अलग से मांग कर रहा था। आरोपी को पुन पूछा गया तो आरोपी कुछ नही बोला तथा नीचे गर्दन कर खड़ा हो गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी ने रिश्वती राशि 30,000 रुपये अपनी पहनी हुई जैकेट की जेब में होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री महिपाल सिंह का दाहिना हाथ श्री विक्रम सिंह कानि 92 व बाया हाथ श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40 से कलाईयो के उपर से पकडवाया गया। तत्पश्चात श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री महिपाल सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियो को तैयार रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमश मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा बाये हाथ की अंगुलियो को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। दोनो प्लास्टिक के गिलासो को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री महिपाल सिंह की पहनी हुई जेकेट के बाई जेब में

रखी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री उम्मेद सिंह से निकलवाई गई तथा रिश्वती राशि का मिलान पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सपुंर्दगी से दोनो गवाहान से करवाई गई तो दोनो गवाहान ने आरोपी के पास मिले नोटो का मुताबिक फर्द हुबहु मिलान होना बताया। बरामद रिश्वती राशि 30,000 रुपये गवाह श्री उम्मेद सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी द्वारा किसानो से खरीदे गये मूंग तुलवाई के हिसाब किताब की एक कॉपी (नोट बुक) मिली जिसे हमरा लिया गया। मौके पर काफी भीड़भाड़ होने व लिखापढी की समुचित व्यवस्था नही होने पर सुरक्षा की दृष्टी से आरोपी श्री महिपाल सिंह को हमरा लेकर व वजह सबुत के पुलिस थाना मण्ड्रेला के लिए समय 05.15 पीएम पर रवाना हो समय 05.30 पी.एम. पर पुलिस थाना मण्ड्रेला पहुंच थाना परिसर पहुंच अग्रीम कार्यवाही शुरु की गई। आरोपी श्री महिपाल सिंह से बरामद रिश्वती राशि 30,000 स्वतंत्र गवाह श्री उम्मेद सिंह के पास रखी का विवरण निम्न प्रकार है। 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3WA 013732, 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3GF 688680, 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CG 610646, 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UU 843370, 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4FQ 339308, 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EK 697818, 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6QQ 211928, 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KN 242151, 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2UT 953363, 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NL 203901, 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2HC 966582, 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EQ 410632, 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AC 996713, 14 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2QM 697293, 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7VK 312881, 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3WM 458694, 17 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7TC 997063, 18 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GT 471568, 19 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7BQ 276473, 20 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6HW 028793, 21 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AD 455717, 22 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EB 603564, 23 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FF 447316, 24 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BN 230951, 25 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6NQ 531866, 26 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8TS 358153, 27 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6DA 284201, 28 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0MN 864450, 29 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0WL 490128, 30 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5VS 582846, 31 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7NQ 102879, 32 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BP 042651, 33 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3DA 218065, 34 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6LE 359620, 35 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8TV 464530, 36 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9HT 778247, 37 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PP 174239, 38 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1SC 005453, 39 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2MT 798071, 40 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FS 413264, 41 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5MA 605728, 42 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KR 392609, 43 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RD 330405, 44 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DD 295233, 45 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7RB 418348, 46 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6PP 713763, 47 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HF 515209, 48 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NM 047961, 49 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0KL 513831, 50 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EE 754435, 51 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5HK 098049, 52 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RC 400876, 53 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GR 707787, 54 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0NK 692006, 55 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EH 401725, 56 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4EQ 960944, 57 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BD 597269, 58 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3UF 756764, 59 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BQ 366799, 60 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NS 004683 बरामदशुदा उपरोक्त 30,000 रूपयों के नोटां को एक सफेद कपड़े की चिट में सीलवाकर बरामद रिश्वती राशि को सील्ड मोहर कर कपडे़ की चिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री महिपाल सिंह की पहनी हुई जैकेट बरंग काला को उतरवाई गई। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घोल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री महिपाल सिंह की जेकेट की बाई जेब को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर जेकेट की बाई जेब से लिये गये धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क जे-1 व जे-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। जेकेट बरंग काली की जेब को सुखाकर जेकेट की बाई जेब पर संबधितो के हस्ताक्षकर करवा जेकेट को एक सफेद कपड़े की थैली में रख शिल्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री महिपाल सिंह के कार्यालय से मिली कॉपी

(नोट बुक) पर अग्रेजी में विक्रम रॉयल नोट बुक लिखा हुआ है। जिसमें किसानो द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो का बास में अनाज तुलवाई का हिसाब किताब लिखा हुआ है। उक्त कॉपी का अवलोकन किया गया जिसमें पेज नम्बर 01 से 91 तक है जिसके पेज नम्बर 01, 02, 14, 24 से 64 तक 69 से 91 तक खाली है तथा शेष पेज पर अनाज तुलवाई के हिसाब की लिखापढी की हुई है। पेज संख्या 12 पर परिवादी श्री विवेक कुमार के मोबाइल नम्बर लिखे हुये है। उक्त पेज में परिवादी द्वारा तुलवाये गये मूंग का हिसाब किताब लिखा हुआ है। उक्त हिसाब के साथ 17850 व 12000 बाकी का हिसाब लिखा हुआ है। इस बारे में आरोपी श्री महिपाल सिंह व्यवस्थापक को पूछा गया तो अनभिज्ञता जाहिर की गई। आरोपी श्री महिपाल सिंह द्वारा किसानो से खरीद की गई मूंग तुलवाई का हिसाब लिखा हुआ है। उक्त कापी के पृथम व अन्तिम पेज पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन् कुलहरियो का बास, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं के बरामदगी रिश्वत राशि, हाथो एवं जेकेट के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल चार विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो सभी विडियो क्लीप चालु होना पाई गई। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क सी अंकित किया गया। आरोपी द्वारा किसानो से तुलवाई के समय आनलाईन रिश्वत लेना ज्ञात हुआ है। आरोपी द्वारा जरिये मोबाईल आन लाईन रिश्वत लेने की भूमिका संदिग्ध पाया जाने पर आरोपी का मोबाईल कम्पनी रेडमी नोट 12 प्रो 5जी जिसमें एक सीम एयरटेल कम्पनी नम्बर एवं दुसरी सीम एयरटेल कम्पनी नम्बर होना पाई गई। उक्त मोबाईल अनलॉक करवा अन्वेषण हेतु वजह सबुत लिया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी महिपाल सिंह पुत्र श्री हीरालाल, जाति जाट, उम्र 44 साल निवासी मांन्जुओ की ढाणी, पोस्ट खुडानिया पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो की ढाणी, जिला झुंझुनू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री विवेक कुमार द्वारा अपने पिता, ताउ आदि की एम.एस.पी. के तहत क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार में विक्रय हेतु तुलवाये गये 100 क्विटल मूंग की प्रति क्विटल 300 रुपये के हिसाब से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.01.2026 को 30,000 रुपये रिश्वत की मांग एवं इसके अलावा आरोपी द्वारा प्रति किसान शपथ पत्र के 5000 रुपये रिश्वत के अलग से मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 12.01.2026 को आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहाकरी समिति ढंढार अर्न्तगत क्रय विक्रय सहकारी समिति सूरजगढ जिला झुंझुनूं को परिवादी से 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। इस प्रकार आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह कर एवं आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत करा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के भाई सुमेर सिंह को दी गई। फर्द गिरफ्तारी आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो का बास की तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री विवेक कुमार की आरोपी श्री महिपाल सिंह के साथ वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकार्ड किया गया हैं। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर रिकार्ड वार्ता को सुनकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाकर फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री कुमार सानु कानि 138 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो रिकार्ड वार्ता फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पेनड्राईव HP 32 GB कम्पनी में कॉपी कर तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव HP 32 GB कम्पनी को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क डी अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड Geonix 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क डी-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक की आवाज होने की पहचान की है। फर्द वार्ता रुपान्तरण वक्त रिश्वत लेन देन तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री विवेक कुमार की उपस्थिति में आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहाकरी समिति ढंढार, तन कुलहरियो का बास तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 8 को कार्यालय के श्री कुमार सानु कानि 138 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बाद कार्यवाही

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विक्रम सिंह कानि. 92, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री प्रमोद पूनियाँ क0 स0, स्वतंत्र गवाह श्री कुणाल माथुर वरिष्ठ सहायक व श्री उम्मेद सिंह संगणक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री महिपाल सिंह व जप्तशुदा वजह सबुत के झुंझुनूं के लिए रवाना हुआ तथा श्री शब्बीर खान उ.अ.पु., श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि. 155, सरकारी वाहन मय चालक श्री जगदेव सिंह को परिवादी श्री विवेक कुमार को पिलानी तक सुरक्षार्थ छोडने हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा आरोपी श्री महिपाल सिंह के बी.डी.के. अस्पताल पहुंच स्वास्थ्य परीक्षण करा रवाना हो पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं पहुँच रात्रि सुरक्षार्थ छोडकर रवाना हो मय प्रकरण के वजह सबुत के हाजिर कार्यालय आया व श्री शब्बीर खान उ.अ.पु. मय जाप्ता के उपस्थित कार्यालय आये। ट्रेप कार्यवाही में सील्ड जप्तशुदा वजह सबुत आर्टिकल एच.एम. मालखाना को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराये गये। स्वतंत्र गवाहान श्री कुणाथ माथुर एवं श्री उम्मेद सिंह को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया।अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी महिपाल सिंह पुत्र श्री हीरालाल, जाति जाट, उम्र 44 साल निवासी मांन्जुओ की ढाणी, पोस्ट खुडानिया पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो की ढाणी, जिला झुंझुनू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री विवेक कुमार द्वारा अपने पिता, ताउ आदि की एम.एस.पी. के तहत क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंढार में विक्रय हेतु तुलवाये गये 100 क्विंटल मूंग की प्रति क्विंटल 300 रुपये के हिसाब से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.01.2026 को 30,000 रुपये रिश्वत की मांग एवं इसके अलावा आरोपी द्वारा प्रति किसान शपथ पत्र के 5000 रुपये रिश्वत के अलग से मांग करना पाया जाने पर रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 12.01.2026 को आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहाकरी समिति ढंढार अर्न्तगत क्रय विक्रय सहकारी समिति सूरजगढ जिला झुंझुनूं को परिवादी से 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। रिश्वत राशि आरोपी श्री महिपाल सिंह व्यवस्थापक की पहनी हुई जेकेट से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपी श्री महिपाल सिंह, व्यवस्थापक का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित को प्रेषित है।(नरेन्द्र कुमार पूनियां) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं................कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार पूनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री हीरालाल, जाति जाट, उम्र 44 साल, निवासी मांझवा की ढाणी, पोस्ट खुडानिया, तहसील चिड़ावा, पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ढंढार तन कुलहरियो की ढाणी, तहसील एवम पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 246 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 90-93 दिनांक 15.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनू 2- अध्यक्ष, बहुदेश्शीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, ढंढार जिला झुन्झुनू 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Subhash Meel **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]1/2026 1[illegible]9

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ||)